वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 85/2025 *दिनांक- 06.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-06.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-पवई:-जानलेवा हमला करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.03.25 को वादी रामसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह ग्राम अहिलासपुर थाना-पवई जनपद-आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 28.02.2025 को समय करीब 08.00 बजे रात्रि में वादी के गांव के ही 01. शनि राजभर पुत्र विनई राजभर, 02. जयहिन्द राजभर पुत्र विनई राजभर, 03. नीरज राजभर पुत्र अच्छेलाल, 04. विनय सिंह उर्फ सिप्पू सिंह पुत्र राकेश सिंह व एक व्यक्ति अज्ञात निवासीगण अहिलासपुर थाना पवई आजमगढ़ द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी के चचेरे भाई रमेश सिंह पुत्र शिवबक्स सिंह जो गेहूँ की सिंचाई करने के लिए ट्यूबेल चालू करने गये थे जैसे साइकिल खड़ी किये, तो उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा एकराय होकर जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डा व लोहे की राड से वादी के भाई को मारापीटा गया, जिससे वादी के भाई के पूरे शरीर में काफी गम्भीर चोटे आयी है और शरीर में कई जगह हड्डी टूट जाना और सिर फट जाना, अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई को मरा हुआ जान कर भाग गये। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 74/25 धारा 109(1),115(2),117(2),3(5) बीएनएस अभियुक्त उपरोक्त आदि 05 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 06.03.25 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विनय सिंह उर्फ सिप्पू सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी ग्राम अहिलासपुर, थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 04.18 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि हम लोगों में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी व मारपीट हो गयी थी, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 74/2025 धारा 109(1),115(2),117(2),3(5) बीएनएस

बरामदगी:-

01. गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा

02.थाना-मुबारकपुरः-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 05.03.2025 को वादी मुकदमा व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल के साथ इब्राहीमपुर बाजार मे चेकिंग कर रहे थे कि एक व्यक्ति अनीसुर्रहमान पुत्र मो0 कासिम निवासी ग्राम इब्राहीमपुर जनपद आजमगढ द्वारा आकर बताया कि मेरे चाचा फैजुर्रहमान पुत्र स्व0 अनवार अहमद निवासी ग्राम इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ घर में धुँआ जाने की बात को लेकर विवाद कर रहे हैं हम लोगो को धमकाने के लिये कट्टा लेकर दौड़ाए है। इस सूचना पर व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह के साथ इब्राहिमपुर मस्जिद के गलियारे की बाउण्ड्री वाल के पास से अभियुक्त फैजुर्रहमान पुत्र स्व0 अनवार अहमद निवासी ग्राम इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को समय करीब 22.35 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद कारतूस .315 की बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 94/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

01. फैजुर्रहमान पुत्र स्व0 अनवार अहमद निवासी ग्राम इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 94/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर
02. एक अदद कारतूस .315 बोर

03.थाना-बरदहः-चोरी की रिवाल्बर व कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.03.25 को उ0नि0 मनीष सिंह द्वारा लिखित फर्द दी गयी कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों 1. राजू राजभर पुत्र शिवपूजन राजभर ग्राम बड़गहन थाना बरदह,जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष 2. सूरज राजभर पुत्र चन्द्रभान राजभर ग्राम दशमड़ा थाना बरदह ,जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को एक अदद रिवाल्वर 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर तथा 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर के साथ कोदहरा चौराहा से 23.00 बजे गिरफ्तार किया गया है। दाखिला फर्द के आधार पर दिनांक 06.03.25 को मु0अ0सं0 62/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 317(2) बीएनएस बनाम 1. राजू राजभर पुत्र शिवपूजन राजभर ग्राम बड़गहन थाना बरदह,जनपद आजमगढ़ 2. सूरज राजभर पुत्र चन्द्रभान राजभर ग्राम दशमड़ा थाना बरदह ,जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

दिनांक 05.03.25 को उ0नि0 मनीष सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों 1. राजू राजभर पुत्र शिवपूजन राजभर ग्राम बड़गहन थाना बरदह,जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष 2. सूरज राजभर पुत्र चन्द्रभान राजभर ग्राम दशमड़ा थाना बरदह ,जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को एक अदद रिवाल्वर 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर तथा 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर के साथ कोदहरा चौराहा से समय करीब 23.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज राजभर पुत्र चन्द्रभान राजभर ग्राम दशमड़ा थाना बरदह ,जनपद आजमगढ़ द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं 02 वर्ष पहले दिल्ली एक व्यक्ति के यहाँ साहदरा में कोठी में साफ-सफाई का काम करने था। जहाँ एक दिन साफ-सफाई के दौरान मेज के दराज में यह रिवाल्वर, एक जिंदा कारतूस, व 02 खाली कारतूस रखा था जिसे वहाँ किसी के न होने पर मेरे द्वारा चोरी कर लिया गया तथा उसे यहाँ लाकर अपने साथी राजू राजभर पुत्र शिवपूजन राजभर ग्राम बड़गहन थाना बरदह,जनपद आजमगढ़ को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया था। आज हमें मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी तो मैं अपने साथी के साथ उसे बेचने हेतु जौनपुर जा रहा था, कि आप लोगों द्वारा पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. राजू राजभर पुत्र शिवपूजन राजभर ग्राम बड़गहन थाना बरदह,जनपद आजमगढ़
2. सूरज राजभर पुत्र चन्द्रभान राजभर ग्राम दशमड़ा थाना बरदह ,जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद रिवाल्वर 32 बोर

02. एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

03. 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 62/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 317(2) बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 62/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 317(2) बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

04.थाना-बिलरियागंज:-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.03.25 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह के थाना अभिलेखो के अवलोकन व परिशीलन से ज्ञात हुआ कि गिरोह सरगना गोविन्द पुत्र राजदेव निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष अपने सह अभियुक्त/सदस्यों आदि के साथ मिलकर एक संगठित अपराधिक गिरोह बना रहा हैं, जो जिला स्तर पर सक्रिय हैं। दिनांक 28.02.25 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध **श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ महोदय द्वारा अनुमोदितशुदा गैंग चार्ट** के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 62/25 धारा 3(1)/2(ख)(17) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 06.03.2025 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज उ0नि0 सुनील कुमार दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गोविन्द पुत्र राजदेव निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को गोरिया नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जेस से एक अदद तमन्चा .315 बोर ,एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

बरामदगी:-

1- एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर

2- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

***पंजीकृत अभियोगः-**

01. मु0अ0स0 63/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- गोविन्द पुत्र राजदेव निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	62/25	धारा 3(1)/2(ख)(17) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	बिलरियागंज	आजमगढ़
2	117/24	3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधि0	बिलरियागंज	आजमगढ़
3	24/21	60 आबकारी अधि	महराजगंज	आजमगढ़
4	63/25	3/25 आयुध अधिनियम	बिलरियागंज	आजमगढ़

04.थाना-रानी की सरायः- चोरी करने वाला 01 अभियुक्त चोरी की एक अदद ई-रिक्शा के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.03.2025 को वादी रवि कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी रेलवे स्टेशन आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वह मेडिसीटी हास्पिटल बेलइसा के सामने किराये के मकान मे रहकर शहर मे अपनी ई-रिक्शा UP 50 CT 9592 चलाकर जीवकोपार्जन करता है। दिनांक 01.03.2025 की रात्रि में वह अपने किराये के मकान के सामने अपना ई-रिक्शा खड़ा किया था जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 57/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 06.03.2025 को उ.नि. हैदर अली मंसूरी मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र से हुए ई-रिक्शा को चोरी किया था आजमगढ़ की ओर से रानी की सराय बाइपास हाइवे से गम्भीरपुर की ओर जाने वाला है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा सेमरहा अण्डर पास पहुँचकर एक व्यक्ति परमानन्द गौड़ पुत्र रामधनी गौड़ सा0 चकवारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ हाल पता ब्लाक नं0 20 काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ को रोककर पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.03.2025 को मैने अपने साथियों के साथ मिल कर अपने इसी ई-रिक्शा से टोचन करके एक दूसरा ई-रिक्शा चुराया था जो हम लोगों ग्राम नीबी के पास छिपा कर रखा गया है। तत्पश्चात अभियुक्त के निशानदेही पर चोरी गये ई-रिक्शा व अभियुक्त को समय करीब 12.20 बजे गिरफ्तार किया गया तथा चोरी गये ई-रिक्शा को बिना बैटरी के बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

01. परमानन्द गौड़ पुत्र रामधनी गौड़ सा0 चकवारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ हाल पता ब्लाक नं0 20 काशीराम आवास जाफरपुर थाना सिंधारी आजमगढ

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु.अ.स. 57/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
02. मु.अ.स. 157/24 धारा 379/411 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़

बरामदगी:-

चोरी गये एक अदद ई-रिक्शा यू.पी. 50 सीटी 2992

घटना मे प्रयुक्त ई-रिक्शा यू.पी. 50 सीटी 6569 सीज 207 एमवी एक्ट